उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **A(D)- 31610/2020**

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू. का अधि. अधिनियम 2005

समक्ष : श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

(ऑडियो–वीडियो के माध्यम से)

दिनांक : 27 / 11 / 2020

अपीलकर्ता : श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, देहरादून।

बनाम

प्रतिवादी:

1. लोक सूचना अधिकारी / 1. अनुभाग अधिकारी, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 2. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, निदेशायल, तपोवन रोड, रायपुर, जिला देहरादून। 9927699106
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, कक्ष संख्या 214, द्वितीय दल, विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आदेश

कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा–15(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुनवाई ऑडियो / वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है।

आज द्वितीय अपील पर सुनवाई के समय अपीलकर्ता श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी दूरभाष नं0 7351870982 पर ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हैं, उनके द्वारा द्वितीय अपील दिनांकित 14 / 07 / 2020, विभागीय अपील दिनांक 27 / 01 / 2020 एवं अनुरोध पत्र दिनांक 13 / 01 / 2020 की पुष्टि करते

Scanned by CamScanner

हुए आयोग को अवगत कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र का गलत अंतरण किया गया, जिसके विरूद्ध प्रथम विभागीय अपील दायर की गयी जिसका निस्तारण अत्यंत विलम्ब से किया गया है। श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, लोक सूचना अधिकारी/उप सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या 461 दिनांक 23/11/2020 से अपीलीय विवरण, प्रारूप 'क' एवं अन्य अभिलेख आयोग को प्रेषित किए हैं. जो आयोग कार्यालय में दिनांक 26/11/2020 को प्राप्त हुए हैं। श्री प्रताप सिंह शाह, विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड शासन, द्वारा पत्र संख्या 455 दिनांक 18/11/2020 से अपीलीय विवरण, प्रारूप 'ख' एवं अन्य अभिलंखे आयोग को प्रेषित किए गए, जो आयोग कार्यालय में दिनांक 20/11/2020 को प्राप्त हुआ। उक्त अभिलेखों का परीक्षण कर पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रेषित द्वितीय अपील दिनांकित 14/07/2020 आयोग के कार्यालय में दिनांक 15/07/2020 को प्राप्त एवं पंजीकृत हुई है। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील में उल्लिखित किया है मेरे द्वारा दिनांक 13/01/2020 के द्वारा 02 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा पत्र संख्या 26 दिनांक 17/0122020 के माध्यम से पत्र धारा 6(3) लोक सूचना अधिकारी/निदेशालय, युवा कल्याण उत्तराखण्ड को अंतरित किया, उक्त अंतरण की कार्यवाही से मैं असंतुष्ट था अतः मेरे द्वारा विभागीय ओपल दायर की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 18/02/2020 की तिथि नियत की गयी। उक्त तिथि निर्धारित करने के उपरांत आज तक न तो अपील पर सुनवाई हुई और न ही अपीलीय कार्यवाही स्थगित/निस्तारित करने विषयक कार्यवाही से संबंधित पत्र उपलब्ध कराया गया। अतः अपील स्वीकार कर प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

Scanned by CamScanner

3. द्वितीय अपील में वर्णित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया, उपस्थित अपीलार्थी के मौखिक कथनों को सुना गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. अपीलार्थी द्वारा मूल अनुरोध पत्र दिनांकित 13/01/2020 लोक सूचना अधिकारी/सचिव कार्यालय युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सम्बोधित कर प्रेषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निम्न 02 बिन्दु की सूचना चाही गयी है–

1. श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा द्वारा दिनांक 20/11/2019 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन से प्रदेश में पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण विषयक आग्रह किया गा था, जिसके कम में मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20/11/2019 को सचिव, युवा कल्याण को कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे, उक्त मामले में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित पत्र की प्रति अनुपालन में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज की प्रतियां।
2. श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा दिनांक 01/11/2019 को सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें पीआरडी0 स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण विषयक मामला था, उक्त मामले में की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां।

3. अनुरोध पत्र के कम में विमला चौहान सहायक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग द्वारा पत्र संख्या 26 दिनांक 17/01/2020 लोक सूचना अधिकारी/युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय, तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून को अन्तर्गत धारा 6(3) अंतरित करते हुए सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। उक्त का पृष्ठांकन अपीलार्थी को भी किया गया है। उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने की दिनांक 14/01/2020 अंकित की गयी है, जिसकी पुष्टि उपलब्ध कराये गये प्रारूप क से की गयी। उक्त अंतरित पत्र के कम में कृत कार्यवाही से संबंधित अभिलेख आयोग की पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

3. उक्त से अंतरण की कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम विभागीय अपील दिनांक 27/01/2020 विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सम्बोधित कर प्रेषित की गयी, जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 13/01/2020 के द्वारा 02 बिन्दुओं पर सूचना उंपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा पत्र संख्या 26 दिनांक 17/0122020 के माध्यम से पत्र धारा 6(3) लोक सूचना अधिकारी/निदेशालय, युवा कल्याण उत्तराखण्ड को अंतरित किया, उक्त मामले में मात्र गुमराह करने का कार्य किया गया है, जिससे मैं असंतुष्ट हूं। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण विषयक मामला शासन स्तर का है तथा बजट इत्यादि की व्यवस्था भी शासन स्तर से ही की जानी थी, इसलिए सूचनाएं शासन के यहां संरक्षित होनी चाहिए थी। अतः विभागीय अपील स्वीकार कर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4. श्री प्रताप सिंह शाह, विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपील का निस्तारण दिनांक 13/11/2020 को किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा निस्तारण आदेश में अपीलीय पत्र प्राप्त होने की दिनांक 31/01/2020 अंकित की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश में उल्लिखित किया गया कि अपील की सुनवाई निस्तारण हेतु दिनांक 18/02/2020 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि दिनांक 18/02/2020 को पत्रावली अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। मा0 आयोग के नोटिस दिनांक 05/11/2020 को प्राप्त हुआ, तदुपरांत अनुभाग द्वारा पत्रावली अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 10/11/2020 को प्रस्तुत की गयी। अवगत कराना है कि तंत्कालीन अनुभाग अधिकारी दिनांक 31/07/2020 को सेवानिवृत्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री रघुनाथ सिंह नेगी के पत्रों दिनांक 01/11/2019 एवं 20/11/2019 के कमशः शासन के पत्र दिनांक 18/11/2019 तथा 19/12/2019 के माध्यम से निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल को प्रेषित किया गया, सिमें आतिथि तक कोइ आख्या प्राप्त नहीं हुयी

Scanned by CamScanner

है। चूंकि पीआरडी0 एवं बजट के संबंध में विभाग/निदेशालय का प्रस्ताव आवश्यक है। अतः अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत गलत रूप से अंतरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी/युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पत्रों के संबंध में निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल से हुए पत्राचार की समस्त प्रतियां तथा वर्तमान में इस संबंध में शासन स्तर पर धारित सूचना निःशुल्क अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

5. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलीय पत्र प्राप्त होने की दिनांक 31/01/2020 अंकित की गयी है, जिसके उपरांत अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 18/02/2020 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि दिनांक 18/02/2020 को पत्रावली अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। मा0 आयोग के नोटिस दिनांक 05/11/2020 को प्राप्त हुआ। तदुपरांत अनुभाग द्वारा पत्रावली अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 10/11/2020 को प्रस्तुत की गयी। अवगत कराना है कि तत्कालीन अनुभाग अधिकारी दिनांक 31/07/2020 को सेवानिवृत्त हुई। उक्त तथ्य के संबंध में विभागीय अपीली अधिकारी द्वारा आज प्रेषित पत्र दिनांक 18/11/2020 में उल्लिखित किया कि चूंकि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उप सचिव, युवा कल्याण दिनांक 18/02/2020 को विभाग से स्थानान्तरण उपरांत अवमुक्त हो गयी थे तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी दिनांक 31/07/2020 को सेवानिवृत्त हो गयी थी। फलस्वरूप उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है। **उपरोक्त से प्रकट होता है कि विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपीलों के निस्तारण के संबंध में उचित व्यवस्था नहीं की गयी है, जबकि अपील के निसतारण के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में विभागीय अपीलीय अधिकारी का प्राथमिक उत्तंरदायित्व नियत है। अतः विभागीय अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा है कि अपीलीय प्रकरण विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में जिन कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही की गयी है, उक्त**

Scanned by CamScanner

लापरवाही का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जबकि विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यह कहा जा रहा है कि चूंकि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उप सचिव, युवा कल्याण दिनांक 18/02/2020 को विभाग से स्थानान्तरण उपरांत अवमुक्त हो गयी थे तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी दिनांक 31/07/2020 को सेवानिवृत्त हो गयी थी। फलस्वरूप उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है। जबकि विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उप सचिव, युवा कल्याण एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, जिनकी कार्यअवधि में उक्त अपीलीय प्रकरण विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया और उनके स्थानान्तरण हो गया के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष को यह सूचित किया जाता कि उनके लापरवाही के कारण विभागीय अपील का निस्तारण समय से नहीं किया जा सका। अतः उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाये। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारियों का नाम और वर्तमान पद उल्लिखित नहीं किया गया है। अतः उनसे अपेक्षा है कि वे उक्त कर्मचारियों का नाम स्पष्ट रूप से लिखते हुए वर्तमान नियुक्ति विभाग के विभागाध्यक्ष को लिखें साथ ही यह भी उल्लेखीय है कि सिर्फ विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अपील का समय से निस्तारण न हो सकने के लिए विभागीय कर्मचारियों पर पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अंततोगत्वा विभागीय अपीलीय अधिकारी का ही पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियत है और विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपने कार्यालय में अनुरोध पत्रों या अपीलीय प्रकरणों के संबंध में संबंधित पत्रावली और पंजिका का समय–समय से अवलोकन और परीक्षण करना चाहिए, ताकि उनके संज्ञान में आये कि कौन सा अनुरोध पत्र लम्बित है और कौन सी अपील निस्तारण हेतु अवशेष है, ताकि समय से अनुरोध पत्र एवं अपीलों का समय से निस्तारण किया जा सके। अतः विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस बात के लिए सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न करें और पक्षिक रूप से सूचना का अधिकार

Scanned by CamScanner

प्रकरणों के अभिलेखों एवं पंजिकाओं का अवलोकन एवं परीक्षण करने की प्रवृत्ति और संस्कृति कार्यालय में पैदा करें।

6. विभागीय अपीलीय अधिकारी के उक्त निस्तारण आदेश के पश्चात श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, लोक सूचना अधिकारी/उप सचिव युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तरांखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या 460 दिनांक 23/11/2020 अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है, जिसमें संबंधित अभिलेख भी संलग्न पाये गये, पर अपीलार्थी को प्रेषित उक्त पत्र में बिन्दुवार सूचना को अंकन एवं संलग्न अभिलेखों में बिन्दु संख्या का अंकन किया जाना नहीं पाया गया। उक्त पत्र के प्राप्त होने की पुष्टि अपीलार्थी द्वारा आज सुनवाई के दौरान की गयी, पर उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण काफी विलम्ब से किया गया, इस संबंध में उनके द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए विभागाध्यक्ष के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, लोक सूचना अधिकारी/उप सचिव युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या 460 दिनांक 23/11/2020 में चूंकि उनके द्वारा बिन्दुवार सूचना का अंकन एवं संलग्न अभिलेखों में बिन्दु संख्या का अंकन नहीं किया गया है **अतः उनसे अपेक्षा है कि उक्त प्रेषित सूचना को बिन्दुवार आवरणा पत्र में उल्लिखित करते हुए संबंधित संलग्न अभिलेखों में भी बिन्दु संख्या का अंकन कर आयोग का आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से निःशुल्क प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

7. उपरोक्त निर्देशानुसार द्वितीय अपील विचार कर गुण–दोष के आधार पर निस्तारित एवं निक्षेपित की जाती है।

आदेश की एक प्रति उभय पक्ष को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांक : 27/11/2020

27/11/20

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त
(PC)

Scanned by CamScanner